झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 08.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य का धनबाद जिला मुख्यतः खनन प्रभावित जिला है जहाँ का जन-जीवन सबसे ज्यादा अगर किसी समस्या से ग्रसित है तो वो है पेयजल की समस्या क्योंकि खनन के चलते वहाँ का जल स्तर लगातार गिरता जाता है। इस समस्या से निदान के लिए 2007 में मैथन जलापूर्ति योजना लागू की गई, जिससे 2021 तक धनबाद को लगातार लगभग 65 MLD पानी सप्लाई किया जाता रहा किन्तु जून, 2021 से सरकार के आदेश के बाद पानी सप्लाई को 65 MLD से घटाकर 40 MLD कर दिया गया, जिससे लोग तबाह हो रहे है। एक ओर जनसंख्या और जल संयोग लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर पेयजल की आपूर्ति घट रही है। अभी तो गर्मी आने वाली है जिसमें जनता तबाह हो जाएगी। अतः धनबाद को पुनः 65 MLD पानी सप्लाई फिर से चालू की जाए इसके लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्याना आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

01.	02.	03.	04.
02-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद प्रखंड में वर्षो पुराना खंडोली वाटर प्लान्ट है जिससे गिरिडीह शहर में 80 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की जाती है। इस वाटर प्लान्ट के रख-रखाव एवं मेन्टेनेंस का कार्य नगर विकास विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु अब इसके लिए आउटसोर्स कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त वाटर प्लान्ट में काम करने वाले कर्मियों को नियमित वेतन नहीं मिलता है, न ही उनका P.F कटता है। वेतन भी सरकारी दर से नहीं मिलता है। इससे कर्मियों में काफी आक्रोश है। ज्ञात हुआ है कि दो महीने पूर्व उक्त वाटर प्लांट को आउटसोर्स किया गया है, परन्तु नए संवेदक को आजतक कर्मियों ने नहीं देखा है। पानी में क्लोरीन भी नहीं मिलाया जाता है। नगर विकास विभाग का कोई भी पदाधिकारी/कर्मचारी उक्त वाटर प्लांट की स्थिति देखने नहीं आता है। अतः उक्त वाटर प्लांट में कार्यरत कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान कराने तथा उनके P.F की कटौती करवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	नगर विकास एवं आवास
03-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0 श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री सरयू राय स0वि0स0	झारखण्ड में सिपाही/हवलदार जो पर्व-त्योहार समेत सभी आयोजनों में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्य करते है। सिपाही/हवलदार को पुलिस हस्तक नियम 774(त्र) में वर्णित प्रावधान अनुसार 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देने का प्रावधान है, जबकि झारखण्ड में सिपाही/हवलदार को मिलने वाले क्षतिपूति अवकाश को जब्त कर लिया गया है। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में लगातार कार्य करने से स्वयं को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हैं। इन्हें दिया जाने वाला वर्दी भत्ता वर्तमान में 4000 रू0, जो इस महंगाई में बहुत कम है व इन्हें दिया-	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		जाने वाला राशन भत्ता प्रतिमाह 2000 रू0, भी आसमान छू रही महंगाई के दौर में बहुत कम है। झारखण्ड में विधि व्यवस्था बनाएँ रखने में सिपाही/हवलदार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अतः सिपाही/हवलदारों की क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने व बर्दी भत्ता 10,000 रू0 व राशन भत्ता 6,000 रू0 बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है। झारखण्ड पुलिस के आरक्षी/हवलदार जो 24 घण्टे विधि व्यवस्था, उग्रवाद जैसे कठोर कार्यो में कड़ी मेहनत एवं जोखिम भरे कार्यो मं निष्ठापूर्वक कार्य करते आ रहे है पुलिस कर्मियों द्वारा बुनियादी सुविधाओं से सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु बराबर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराये जाने के बावजूद किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने से पुलिस कर्मी आन्दोलन को बाध्य हो रहे हैं। अतः झारखण्ड पुलिस को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर पुलिस कर्मियों के समस्याओं का निवारण करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	**श्री दीपक विरूवा स0वि0स0 श्री निरल पुरती स0वि0स0**	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के ज्ञापांक- एम0ई/ 01/ 393/ 2006/ 2021- 22/ 2453 एवं एम0ई0/ 01/ 393/ 2006/ Partfile/2455, दिनांक- 23.12.2021 द्वारा प्रकाशित अल्पकालीन संविदा के आधार पर कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता (Civil) की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। उपर्युक्त पदों पर चयन संबंधी दिशा-निर्देश में निर्धारित शर्त्तो के आधार पर वाह्य कोटा से अनुभव प्राप्त एवं सेवा निवृत अभियंताओं को नियुक्त करने का जो निर्णय लिया गया है, वह सरकार को दिगभ्रमित एवं अतिरिक्त वित्तीय	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

01.	02.	03.	04.
		भार को दर्शाता है। यदि उक्त के आलोक में संबंधित विभागों में कार्यरत कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंताओं की सेवा लेते हुए उच्चतर पदों पर पदोन्नति देते हुए कार्य लिया जाय, तो राज्य के पदों का सृजन के साथ–साथ बेरोजगार शिक्षित युवको को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सकेगा। अतएव आग्रह है कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर निर्गत विज्ञापन को रद्द करते हुए बेरोजगार युवकों को सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
05–	**सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री भूषण बड़ा स0वि0स0**	राज्य में ओबीसी समुदाय को आरक्षण मात्र 14 प्रतिशत से बढ़ाकर जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत करने को लेकर झारखण्ड विधान सभा के शीत सत्र के दौरान उठाए गए प्रश्न के उत्तर में समिति का गठन सरकार के समक्ष विचाराधीन होने की बात बताई गयी थी, परन्तु वर्तमान समय तक राज्य में ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने को लेकर कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः मैं झारखण्ड राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा के आलोक में ओबीसी आरक्षण सीमा को बढ़ाकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक करने हेतु विधेयक लाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

राँची,
दिनांक– 08 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–.....108.....वि0 स0, राँची, दिनांक– 07/03/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–.....108.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 07/03/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

07/03/22